



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 20.11.2020

1-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा एक महिला समेत 05 शातिर लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 मोबाइल, 06 एटीएम/डेबिट कार्ड, एक जंजीर (पीली धातु), एक अवैध शस्त्र मय कारतूस व एक अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 20.11.2020 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 04 शातिर लुटेरे अभियुक्त 1.अंकुश पुत्र सुनील कुमार 2.आकाश कोहली पुत्र चन्द्रपाल 3.रंजन सरकार उर्फ प्रिन्स पुत्र शंकर सरकार 4.राहुल कुमार पुत्र पूरन सिंह व 01 महिला अभियुक्ता 5.सपना उर्फ सविता पुत्री प्रीतम सिंह को थाना क्षेत्र के क्लो काउन्टी तिराहा सेक्टर 121 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 11 मोबाइल, 06 एटीएम/डेबिट कार्ड, एक जंजीर पीली धातु (सम्बन्धित मु0अ0सं0 602/20 धारा 392 भादवि), एक कार स्पार्क रजि0 नं0 DL 7 CK 4360, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो एनसीआर क्षेत्र में लूट की घटना कारित करते है।

अभियुक्तों का विवरण-

1.अंकुश पुत्र सुनील कुमार निवासी मकान नं0 E-4 नवयुग अपार्टमेन्ट नियर श्री साई पब्लिक स्कूल सर्फाबाद नोएडा।

2.आकाश कोहली पुत्र चन्द्रपाल निवासी B-1-57 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी शाहदरा दिल्ली वर्तमान निवासी अमरपाल का मकान, सूर्या फार्म हाउस के पीछे गली नं0 1 ग्राम सर्फाबाद नोएडा।

3.रंजन सरकार उर्फ प्रिन्स पुत्र शंकर सरकार निवासी मकान नं0 E-2-97 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी शाहदरा दिल्ली वर्तमान पता अमरपाल का मकान, गली नं0 1 ग्राम सर्फाबाद नोएडा।

4.राहुल कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम बरोन्डी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा।

5. एक महिला अभियुक्ता

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 602/20 धारा 392 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 892/20 धारा 420 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 894/20 धारा 411/414/420 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0स0 895/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0स0 896/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 898/20 धारा 4/25 ए एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 11 मोबाइल फोन

2. 06 एटीएम/डेबिट कार्ड

3. एक जंजीर पीली धातु (सम्बन्धित मु0अ0सं0 602/20 धारा 392 भादवि)

4. एक कार स्पार्क रंग सिल्वर रजि0 नं0 DL 7 CK 4360

5. एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

6. एक अवैध चाकू

2- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 अवैध चाकू, चोरी के 03 मोबाइल तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20.11.2020 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर चोर अभियुक्त 1.आसिफ पुत्र निजाम निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 नोएडा 2.रोहित पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 नोएडा 3.अंकुर पुत्र मंगू निवासी सलारपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा को थाना क्षेत्र के

मोरना बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध चाकू, 3 चोरी के मोबाइल फोन (एंद्राइड अलग-अलग कंपनियों के) तथा चोरी की 1 मोटरसाइकिल हीरो होंडा ग्लैमर बरामद हुई है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. आसिफ पुत्र निजाम निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 नोएडा।
2. रोहित पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 नोएडा।
3. अंकुर पुत्र मंगू निवासी सलारपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 689 /2020 धारा 414 आईपीसी थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 690/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 691/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा ग्लैमर
2. तीन मोबाइल फोन (एंड्राइड अलग अलग कंपनी के)
3. दो अवैध चाकू

3- थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम मे जिला बदर एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 19.11.2020 को थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम मे जिला बदर एक अभियुक्त सोनू कुरेशी पुत्र रफी कुरेशी निवासी गली न0 5 नया गाँव थाना फेस 2 नोएडा को थाना क्षेत्र के गली न0 5 नया गाँव से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 17.11.2020 को पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश वाद सं0 09/2020 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में अभियुक्त सोनू कुरेशी पुत्र रफी कुरेशी को अपने आदेश दिनांक 17.11.2020 में जिला बदर घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

सोनू कुरेशी पुत्र रफी कुरेशी निवासी गली न0 5 नया गाँव थाना फेस 2 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 699/2020 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 444/18 धारा 354,323,504 भादवि थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

4- थाना ईकोटेक 3 पुलिस द्वारा अवैध खनन कर रहा एक अभियुक्त ,गिरफ्तार, कब्जे से एक ट्रैक्टर मय मिट्टी भरी हुयी ट्राली बरामद।

दिनांक 19.11.2020 को थाना ईकोटेक 3 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम तुस्याना जंगल में जे0सी0बी0 से खदान कर मिट्टी चोरी करते हुये अवैध खनन कर रहा 01 अभियुक्त सुनील पुत्र चन्दा निवासी ग्राम सुत्याना थाना ईकोटेक 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 ट्रैक्टर रजि0 न0 UP 16 CP 7146 मय मिट्टी भरी हुयी ट्राली बरामद की गई है।

अभियुक्त का विवरण-

सुनील पुत्र चन्दा निवासी ग्राम सुत्याना थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 562/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधि0 1957 थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

01 ट्रैक्टर रजि0 न0 UP 16 CP 7146 मय मिट्टी भरी हुयी ट्राली

5- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा बन्द फ्लैटो का ताला तोड़कर चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार।

दिनांक 20.11.2020 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा बन्द फ्लैटो का ताला तोड़कर चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र शीशपाल निवासी मसाले वाली चक्की के पास वेदा कालोनी सेक्टर 73 नोएडा को थाना क्षेत्र के वेदा कालोनी सर्फाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा मे फ्लैट से चोरी किये गये आभूषण,उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी का सामान व 16200 रूपये नगद बरामद हुए है।

घटना का विवरण-दिनांक 17.11.2020 को वादी श्री संदीप वशिष्ठ पुत्र अभिनन्दन शर्मा निवासी ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 ने सूचना दी थी कि उसके फ्लैट का ताला तोड़कर घर में से ज्वैलरी, नगदी व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। इस सूचना के आधार पर थाना सेक्टर 49 पर मु0अ0सं0 977/20 धारा 454/380 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

जितेन्द्र पुत्र शीशपाल निवासी मसाले वाली चक्की के पास वेदा कालोनी सेक्टर 73 नोएडा।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 977/20 धारा 454/380/411 भादवि0 थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।


बरामदगी का विवरण-

1. भारी मात्रा मे चोरी किये गये सोने व चादी के आभूषण
2. लेडीज पर्स
3. दो उत्तर प्रदेश पुलिस के बैच व एक स्टार
4. 16,200 रुपये नगद

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर में नेशनल चिल्ड्रंस डे के अवसर पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में यूनिसेफ के द्वारा संचालित किए गए संयुक्त कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी थानों में स्कूली बच्चों को सिंबॉलिक रूप में 1 दिन का बनाया गया थानेदार, पुलिस मुख्यालय के आह्वान पर सभी जनपद के थानों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया:

अंतरराष्ट्रीय चिल्ड्रंस डे के अवसर पर यूनिसेफ एवं पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन शक्ति को साथ जोड़ते हुए स्कूली छात्राओं को 1 दिन का थानेदार बनाकर इनका हौसला बढ़ाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस कड़ी में दिनांक 20.11.2020 को जनपद के सभी थानों में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों में स्कूली छात्राओं को सिंबॉलिक रूप में 1 दिन का थानेदार बनाया गया, जिसके तहत स्कूली छात्राओं के द्वारा भाग लिया गया। जिन स्कूली छात्राओं को 1 दिन का थानेदार बनाया गया उन्हें पुलिस के द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई ताकि स्कूली छात्राओं का के मनोबल को बढ़ाया जा सके।



प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर संचालित किया गया सघन अभियान, सभी थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर संचालित किया गया जागरूकता कार्यक्रम

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर की संपूर्ण पुलिस जहां एक और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हुए नागरिकों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए 2 गज की दूरी बनाने की के लिए प्रेरित कर रही है वहीं दूसरी ओर सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस टीम के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिनांक 20.11.2020 को डीसीपी ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा पुलिस के अधिकारियों एवं पुलिस टीम के द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में गहन सघन अभियान संचालित किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने के लिए मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ चले अभियान दौरान मास्क ना लगाने वाले दर्जनों लोगों के खिलाफ की गई है। बादलपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर दो बसों को सीज किया गया है। यह बसें दिल्ली से बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर अधिकतर यात्रियों के द्वारा मास्क का

प्रयोग भी नहीं किया जा रहा था जिसको दृष्टिगत रखते हुए बादलपुर पुलिस ने दो बसों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया है।

आगे भी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा निरंतर अभियान संचालित करते हुए इसी प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।